

अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का न्यायालय

आर0ई0आर केश सं0- 23/18-19

नेहरू कुमार बनाम् राजेन्द्र राय वगै0

:—आदेश—:

7

प्रस्तुत वाद आवेदकगण (1) नेहरू कुमार, पे0-स्व0 बैजू कुंवर, (2)जहाजी देवी, पति-नेहरू कुमार, सा0-चांदसर, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा-चांदसर नं0-737, जमाबंदी नं0-22 के दाग नं0-108, रकवा-00-04-02 धूर भूमि, दाग नं0-109, रकवा-00-01-18 धूर भूमि, दाग नं0-107, रकवा-00-04-16 धूर भूमि एवं दाग नं0-115, रकवा-00-05-09 धूर भूमि कुल रकवा-00-16-06 धूर भूमि से विपक्षीगण (1)राजेन्द्र राय, पे0-कार्तिक राय (2)कुलदीप राय, पे0-राजेन्द्र राय (3)चनरा राय, पे0-राजेन्द्र राय (4)पंचा राय, पे0-राजेन्द्र राय (5)अशोक राय, पे0-राजेन्द्र राय (6)रंजीत राय, पे0-राजेन्द्र राय (7)सुरेन्द्र राय, पे0-तेजनरायण राय (8)प्रदीप राय, पे0-तेजनरायण राय (9)अमरजीत राय, पे0-तेजनरायण राय, सभी सा0-चांदसर, थाना व अंचल-महागामा, जिला-गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध किया है। तदनुसार अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा उभय पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारणपृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

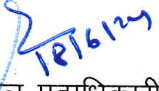
अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक-1537/रा0, दिनांक-15.09.2023 द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा-चांदसर, थाना नं0-737, जमाबंदी नं0-22 के दाग नं0-108, 109, 107 एवं 115 में कुल रकवा-00-16-06 धूर भूमि जमाबंदी रैयत रघु राय वो तीतु राय पेशरान तुलसी राय कौम खतौरी, सा0-देह के नाम से दखल इजमाल के रूप में गत सर्वे खतियान में दर्ज है। जमाबंदी रैयत नावलद मृत है। आवेदकगण जमाबंदी रैयत की बहन ललीता देवी का क्रमशः पोता एवं पोता की पत्नी है। विपक्षीगण जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं है। स्थलीय जाँच के क्रम में पाया कि उक्त जमाबंदी नं0-22 के दाग नं0-107 के अंदर रकवा-0.04 एकड़(चार डीसमील) भूमि पर आवेदन में वर्णित विपक्षीगण (1)राजेन्द्र राय, पे0-कार्तिक राय (2)कुलदीप राय, पे0-राजेन्द्र राय (3)चनरा राय, पे0-राजेन्द्र राय (4)पंचा राय, पे0-राजेन्द्र राय (5)अशोक राय, पे0-राजेन्द्र राय (6)रंजीत राय, पे0-राजेन्द्र राय का मिट्टी दिवाल एवं खपरैल छावनी का मकान बना हुआ है एवं दाग नं0-109 के अंदर रकवा-0.06 एकड़(छः डिसमील) भूमि पर विपक्षीगण (7)सुरेन्द्र राय, पे0-तेजनरायण राय (8)प्रदीप राय, पे0-तेजनरायण राय (9)अमरजीत राय, पे0-तेजनरायण राय, का मिट्टी दिवाल पूरा गिर गया है, जिसमें विपक्षीगण निवास नहीं कर रहे हैं। उक्त भूमि खाली है जिसपर विपक्षीगण का दखल कब्जा है। जाँच के क्रम में आवेदक द्वारा हाल सर्वे (Not Final) पर्चा की छायाप्रति की पर्चा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जमाबंदी रैयत के साथ ही खाता कायम किया गया है। परन्तु वादगत भूमि के अलावे सभी भूमि पर आवेदकगण (1)नेहरू कुंवर (2) पीधु कुंवर के नाम से कैफियत कॉलम में दखल अंकित है। वादगत खेसरा 107 के अंश रकवा-0.04 एकड़ भूमि पर कैफियत कॉलम में दखल विपक्षी राजेन्द्र राय वगै0 एवं दाग नं0-109 के अंश रकवा-0.06 एकड़ भूमि पर कैफियत कॉलम में दखल विपक्षी सुरेन्द्र राय वो प्रदीप राय वो अमरजीत राय के

पिता- स्व0 तेजनारायण राय के नाम से दखल दर्ज है। अतः वादगत भूमि रैयती है, जो अहस्तातरणीय है। मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय से किया जा सकता है।

पुनः अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक-549/रा0 दिनांक-03.04.2024 द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा-चांदसर, थाना नं0-737, जमाबंदी नं0-22 में जमाबंदी रैयत रघु राय वो तीतु राय नावलद मृत है। आवेदकगण जमाबंदी रैयत की बहन का वंशज है। विपक्षीगण जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं है। विपक्षीगण द्वारा हाल सर्वे (Not Final) पर्चा के आधार पर वादगत भूमि पर दावा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विपक्षीगण द्वारा वादगत भूमि के संदर्भ में किसी प्रकार का स्वत्व से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि प्रासंगिक भूमि रैयती है तथा विपक्षीगण का उक्त जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। अतः प्रासंगिक भू-भाग से संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है। तदनुसार आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, महागामा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।



21/08/24